रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 279] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 20, 1982/भाद्र 29, 1904

No. 279] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 20, 1982/BHADRA 29, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1982

सा० का० नि० 573(अ) —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा नियम 1981 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रसारण (इंजीनियर सेवा (संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये 5 नवम्बर, 1981 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2 भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा नियम, 1981 में, नियम 7 के विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात —

(2) कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्तियां निम्नलिखित रूप में होंगी .

(क) कनिष्ठ वेतनमान की अधिष्ठायी रिक्तियों का 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताओं और आयु सीमा के आधार पर आयोग द्वारा संचालित किसी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर और आयोग के परामर्श से, समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी परीक्षा स्कीम के परिणामस्वरूप भरा जाएगा।

(ख) अधिष्ठायी रिक्तियों का शेष 50 प्रतिशत ऐसे अधिकारियों की अधिष्ठायी नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा जो अनुसूची 4 में दिए गए अनुसार उस श्रेणी में पुष्टि के लिए सम्यक्त गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर, अनुपयुक्तता पर अस्वीकृति के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर नीचे दिए गए खंड (ग) के अधीन अस्थायी रिक्तियों पर उस श्रेणी में नियुक्त किए गए हैं।

(ग) कनिष्ठ वेतनमान में की सभी अस्थायी रिक्तियां, नियंत्रक प्राधिकार द्वारा, ऐसे अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी जो प्रोन्नति के सुसंगत क्षेत्र से हों और अनुसूची 4 में यथाउपबन्धित सम्यक्त . गठित विभागीय प्रोन्नति समिति गुणागुण पर चयन के आधार पर अनुसूची 3 के क्रम संख्यांक 6 के सामने, चौथे स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा भी कर चुके हों।]

टिप्पण इस उपनियम के खंड (क) और (ख) केवल तभी प्रवृत्त होंगे जब नियम 6 के उपनियम (1) के अनुसार कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्त सभी अधिकारियों पर आमेलन के लिए विचार किया जा चुका हो और वे सभी अधिकारी जो उपयुक्त पाए गए हों सेवा में स्थायी पदों पर आमेलित किए जा चुके हों।

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति जिस पर किसी स्थायी पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया गया है और जो अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अनुपयुक्त पाया गया है, खंड (क) और (ख) के अधीन तत्पश्चात् भर्ती किए गए व्यक्तियों पर ज्येष्ठता का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

3 भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा नियम, 1981 के नियम 8 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

"वे अधिकारी जो किसी श्रेणी में, उसके प्रारम्भिक गठन के पश्चात् प्रविष्ट होते हैं, उन अधिकारियों से निम्न पंक्ति के होंगे जो नियम 6 के अधीन गठन के समय सेवा की उस श्रेणी में नियुक्त किए गए हैं।

[संख्या 301/1/81 बी (डी)]

एस पी० उपासनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 1982

G.S.R. 573(E).—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to amend the Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules, 1981, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Broadcasting (Engineers) Service (Amendment) Rules, 1982.

(ii) They shall be deemed to have come into force on the 5th November, 1981.

2. In the Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules 1981, the existing sub-rule (2) of rule 7 shall be substituted as follows :—

(2) Appointments to Junior Scale shall be made as under :

(a) 50 per cent of the substantive vacancies in the Junior Scale shall be filled by direct recruitment on the results of a Competitive Examination conducted by the Commission on the basis of the educational qualifications and age limit specified in Schedule II and any scheme of examination that may be notified by Government, in consultation with the Commission from time to time.

(b) The remaining 50 per cent of the substantive vacancies shall be filled by substantive appointment of officers appointed to the grade against temporary vacancies, under clause (c) given below, on the basis of seniority subject to rejection of unfit on the recommendation of a duly constituted Departmental Promotion Committee for confirmation in the grade as given in Schedule IV.

(c) All temporary vacancies in the Junior Scale shall be filled by the Controlling Authority by promotion of officers from the relevant field of promotion and the minimum qualifying service as specified in the fourth column against serial No. 6 of Schedule III on the basis of selection on merit by a duly constituted Departmental Promotion Committee as provided in Schedule IV.

Note : Clauses (a) and (b) of this sub-rule shall operate only after all the officers appointed in junior scale in accordance with sub-rule (1) of rule 6 are considered for absorption and all officers found fit are absorbed against permanent posts in the service :

Provided that no person who has been considered for appointment to a permanent post and has been found unfit by the Departmental Promotion Committee specified in Schedule IV shall be entitled to claim seniority over persons recruited subsequently under clauses (a) and (b)".

3. Sub-rule (2) of rule 8 of the Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules, 1981, shall be substituted as follows :

"Officers who join the service in any grade after its initial constitution, shall rank below those appointed to the service in that grade at the time of the constitution under rule 6".

[No. 301|1|81-B(D)]

S. P. UPASANI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982